न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आर.टी.एस.)

मि.न.– 177 / 2017

दिनांक–6.3.18

निर्णय

सराकर बनाम सीताराम

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पनियाला ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम कालूहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न02 / 1.0है0 किस्म बजंड मेंसे 0.10है 0पर सीताराम पुत्र मेहरचन्द जाति गुर्जर निवासी कालूहेडा तहसील कोटपूतली ने सरसों कास्त कर अवैध रूप सं अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3)के तहत नोटिस दिया गया । नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किया गया ।सूचना के उपरान्त गैरसायल स्वंय उपस्थित आये कोई जबाब पेश नहीं किया । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः गैरसायल सीताराम पुत्र मेहरचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालूहेडा को ग्राम कालूहेडा के आराजी खसरा नंबर 2 / 1.0है0किस्म जमीन बंजड में से 0.10है0 पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजीयात से बेदखल किया जाता है,तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.30रू. का पचास गुणा 15रू. का जुर्माना किया जाता है ,एवं उक्त आराजीयात पर खडी फसल सरसों को कब्जेराज ली जाकर फसल निलामी की जावे,पालनार्थ आई.एल.आर. / पटवारी हल्का को लिखा जावे । जमा कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे, पत्रावली बाद पालना दिनांक 23.3.18 पेश हो।पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.3.18को सर्रे इजलास सुनाया गया।

वर्ष 200 17-18 के ... के पृष्ठ संख्या 74 पर 15 ... [illegible]

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली